

①

**मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग**  
**प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004**

// अधिसूचना //

**भोपाल, दिनांक 23/01/2020**

फा0कमांक-1(सी)/548/एट्रोसिटीज/21-ब(दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989(क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला रीवा के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार निगम, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम.पी./900/97, दिनांक 04.06.1994) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री राकेश कुमार निगम, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12.01.1961 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री राकेश कुमार निगम, अधिवक्ता रीवा को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(संतोष प्रसाद शुक्ल)  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 23/01/2020

पृ0कमांक1(सी)/548/एट्रोसिटीज/21-ब(दो),2020  
प्रतिलिपि-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
- (2) आयुक्त, रीवा संभाग रीवा, (म.प्र.)
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)
- (4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, रीवा, (म.प्र.)
- (5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
- (7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, (म.प्र.)
- (8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
- (9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल,
- (10) श्री राकेश कुमार निगम पिता स्व.जगमोहन निगम,पता-ग्राम डिहिया, तहसील हुजूर जिला रीवा
- (11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- (12) आई0टी0, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh  
JABALPUR

03 FEB 2020

Reg No. 2169

Receipt Clerk  
High Court Jabalpur

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल-462004

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 23/01/2020

फा0कमांक-1(सी)/6392,406/एट्रोसिटीज/21-ब(दो), राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 4610/19/21-ब(दो) दिनांक 03/09/2019 द्वारा श्री दीपक उगाले, अधिवक्ता, बुरहानपुर की लोक अभियोजक के पद पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये, उन्हे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला बुरहानपुर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री दीपक उगाले, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम.पी./2464/91, दिनांक 15.10.2001) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री दीपक उगाले, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 23.05.1971 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री दीपक उगाले, अधिवक्ता, बुरहानपुर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 23/01/2020

पृ0कमांक1(सी)/6392,406/एट्रोसिटीज/21-ब(दो),2020

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
- (2) आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर, (म.प्र.)
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)
- (4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर, (म.प्र.)
- (5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
- (7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड, भोपाल, (म.प्र.)
- (8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
- (9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल,
- (10) श्री दीपक उगाले पिता प्रेमचंद उगाले, नि0 न्यू इंदिरा नगर ग्राम बहादुरपुर तहसील जिला बुरहानपुर,
- (11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ, विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh  
JABALPUR  
03 FEB 2020  
Reg No..... 2168  
Receipt Clerk  
High Court Jabalpur

Registration  
3.2.20

3

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल-462004  
// संशोधित अधिसूचना //

भोपाल,दिनांक 28/01/2020

फा0कमांक-1(सी)/6392,406/एट्रोसिटीज/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23/01/2020 द्वारा श्री दीपक उमाले,अधिवक्ता,बुरहानपुर जिनका (नामांकन क्र. एम.पी./2464/91, दिनांक 15.10.2001) है, की विशेष लोक अभियोजक के पद पर लिपिकीय त्रुटिवंश की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये, उनके स्थान पर श्री दीपक उमाले, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम.पी./931/95, दिनांक 08.05.1995) को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला बुरहानपुर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री दीपक उमाले, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12.03.1965 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमे से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री दीपक उमाले,अधिवक्ता,बुरहानपुर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय माग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबरकीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,  
भोपाल, दिनांक 28/01/2020

पू0कमांक1(सी)/6392,406/एट्रोसिटीज/21-ब(दो),2020

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
- (2) आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर, (म.प्र.)
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)
- (4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,बुरहानपुर,(म.प्र.)
- (5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
- (7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, (म.प्र.)
- (8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
- (9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल,
- (10) श्री दीपक उमाले पिता श्री बाबूलाल उमाले,पता-वार्ड 8,दुर्गा मैदान इंदिरा नगर बहादुरपुर, बुरहानपुर,
- (11) श्री दीपक उमाले पिता श्री प्रेमचंद उमाले अधिवक्ता,नि.न्यू.इंदिरा नगर ग्राम बहादुरपुर जि0बुरहा
- (12) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- (13) आई0टी0, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28.1.20  
(संतोष प्रसाद शुक्ल)  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh  
JABALPUR  
03 FEB 2020  
Reg No..... 2180  
Receipt Clerk  
High Court Jabalpur

दिनांक  
3.2.20